न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 48/2017
दायर दिनांक – 20/07/2017
निर्णय दिनांक – 04/06/2018

अनवान

1. कजोड मुतबना वेणा अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पिता नाना अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
2. गोकल पिता घासी अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
3. प्रकाश पिता पृथ्वीराज उर्फ पिथा अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
4. कैलाश पिता पृथ्वीराज उर्फ पिथा अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
5. भगवानी पत्नि पृथ्वीराज उर्फ पिथा अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा , जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन

: : निर्णय : :

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन के प्रस्तुत किया कि ग्राम पीपली डोडियान में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से लगायात 05 तक क सयुंक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या नया 131 एवं पुराना 116 व आराजी संख्या 665 रकबा 1–07 बीघा किस्म बीड स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायात 05 तक की पैतृक कृषि भूमियां है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 से लगायात 5 तक का 1/3 हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है एवं मौके पर आपसी सुविधा काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादपत्र की कलमं संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं 01 सें लगायात 05 के बीच विभाजन कराया जाना आवश्यक है। क्योंकि भूमियों के विकास एंव उनको उपजाउ बनाने के लिए एंव

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सुविधानुसार लगान जमा कराने क लिए विभाजन आवश्यक है जिस निमित्त वादी द्वारा यह विभाजन का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है । वादी एंव प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमियों का उपयोग उपभोग कर काश्त कर रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 05 को वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात को विभाजन हेतू आज से एक माह पूर्व कहा परन्तू प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिस कारण वादी का वाद हेतूक आज से आज से एक माह पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 को भूमिधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा इनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादी संख्या 01 से लगायात 05 के विरूद्ध इस आशय की प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात का विभाजन वादपत्र की पैरा संख्या 02 के अनुसार हिस्से अनुसार कराया जाकर वादी को अपने हिस्से 1/3 का स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एव उसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे स्वतंत्र अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 05 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तथा प्रतिवादी संख्या 06 भूमि धारक होकर उसके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

पत्रावली वास्ते बहस नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत पिपली डोडियान पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर वादी एवं प्रतिवादी शंकर उपस्थित हुए। वादी ने एवं प्रतिवादी शंकर ने उपस्थित होकर विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रकरण में विभाजन फहरिस्त तैयार की जाकर मय अनुशंषा के प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त पर वादी

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

द्वारा सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	कजोड मुतबना वेणा अहीर सा.देह खातेदार	665/1	00-09	0.23
	योग :–	किता– 01	**00-09**	**0.23**
2.	शंकरलाल पिता नाना 1/2, गोकल पिता घासी 1/16, प्रकाशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पित पृथ्वीराज, भगवानी पति स्व. पृथ्वीराज 1/16, गोकल पिता घासी 1/8, भगवानी पति स्व. पृथ्वीराज 1/8, प्रकाशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पिता पीथा, भगवानी पति स्व. पीथा 1/8 अहीर सा.देह खातेदार	665 मीन	00-18	0.45
	योग :–	किता– 01	**00-18**	**0.45**

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :– 48/2017

अनवान

वादी पक्ष :–

1. कजोड मुतबना वेणा अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. शंकरलाल पिता नाना अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
2. गोकल पिता घासी अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
3. प्रकाश पिता पृथ्वीराज उर्फ पिथा अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
4. कैलाश पिता पृथ्वीराज उर्फ पिथा अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
5. भगवानी पत्नि पृथ्वीराज उर्फ पिथा अहीर निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा , जिला राजसमंद

दावा :– विभाजन
वादी की ओर से :– महेश कुमार सोनी
प्रतिवादी की ओर से :–

में इस आशय मे दिनांक 04/06/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपली डोडियान के आराजी नम्बर 665 रकबा 01–07 बीघा का तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	कजोड मुतबना वेणा अहीर सा.देह खातेदार	665/1	00-09	0.23
	योग :–	किता– 01	**00-09**	**0.23**
2.	शंकरलाल पिता नाना 1/2, गोकल पिता घासी 1/16, प्रकाशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पित पृथ्वीराज, भगवानी पति स्व. पृथ्वीराज 1/16, गोकल पिता घासी 1/8, भगवानी पति स्व. पृथ्वीराज 1/8, प्रकाशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पिता पीथा, भगवानी पति स्व. पीथा 1/8 अहीर सा.देह खातेदार	665 मीन	00-18	0.45
	योग :–	किता– 01	**00-18**	**0.45**

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 04/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवमं मोहर से जारी की गई।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा